न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] पत्रावली पेश हुई। वुकलाय [illegible] फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में [illegible]। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक .... को पेश हो।
24.03.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.03.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
28.03.2025	पत्रावली वास्ते/निर्णय आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिंनांक 02.04.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
02.04.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। [illegible] पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] सुपुर्द होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
84 / 2024	2024 / 154	13.06.2024	02.04.2025

उनवान प्रकरण

सोनू कुमार पुत्र भगवानसहाय आयु 25 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955)

...कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
...धोपुर (सीकर)

:: निर्णय ::

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 464 रकबा 1.52 हैक्टर तन ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वादी के पिता भगवानसहाय पुत्र मांगू के फौत होने पर जरिये विरासत खातेदारी कोयली देवी पत्नी भगवानसहाय, मनीष, विजय, गब्बर, भोला पुत्रगण भगवानसहाय हिस्सा 1/18 की खातेदारी दर्ज हुयी है परन्तु वादी का नाम अपने पिता की विरासत में सोनू कुमार के स्थान पर भोला राजस्व कर्मचारियो की गफलत एवं गलतफहमी की वजह से दर्ज हुयी अशुद्धि हैं वादी का नाम उसके समस्त दस्तावेजात यथा वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, दसवी की अंकतालिका, उच्च माध्यमिक बोर्ड की अंकतालिका, आधार कार्ड सभी में वादी का नाम सोनू कुमार पुत्र भगवानसहाय ही दर्ज है जो सही हैं। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में वादी का नाम सोनू कुमार के स्थान पर भोला दर्ज होने से वादी को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार व केन्द सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित होना पडता है। इस कारण भी वादी का नाम भोला के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक व न्यायोचित है। भगवानसहाय के कमशः मनीष, विजय, गब्बर, सोनू कुमार ही उत्पन्न हुये है भोला नाम का कोई पुत्र संतान भगवानसहाय के उत्पन्न नही हुआ हैं। उक्तानुसार वादी का रिकार्ड में दर्ज भोला के स्थान पर सोनू कुमार शुद्ध किये जाने योग्य है। वादी ने अपने उक्त गलत दर्ज नाम भोला के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का आदि से दिनांक 28.05.2024 को संपर्क कर निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में वाद दायर होकर शुद्ध कराने हेतु कहा गया इस कारण मजबूर होकर वादी को यह वादपत्र न्यायायल हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद [illegible] प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 464 रकबा 1.52 हैक्टर [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादी का दर्ज नाम भोला पुत्र भगवानसहाय के स्थान पर सोनू कुमार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगवानसहाय दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर वादी का नाम भोला के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज कर रिकार्ड मे दुरूस्ती फरमायी जाकर उक्तानुसार वादी का सही नाम दर्ज करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये डिक्री के अनुसार दर्ज कराये जाने का आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3021/भू.अ./24 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का टटेरा की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम टटेरा के वर्तमान खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 464 रकबा 1.52 हैक्टर के खातेदार भोला पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/90 जाति रेगर सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। भगवानसहाय के फौत हो जाने पर विरासत के नामान्तकरण सेख्या 695 दिनांक 07.03.2011 से इनके वारिस कोयली देवी पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 1/90 गबर पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/90, भोला पुत्र भगवानासहाय हिस्सा 1/90 मनीष पुत्र भगवानसहाय 1/90 विजय पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/90 कौम रैगर सा. देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। वादी सोनू कुमार का समस्त दस्तावेजो यथा अंकतालिका 10 वीं आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड आदि में नाम सोनू कुमार दर्ज है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी एवं ग्राम पंचायत टटेरा के सरपंच के अनुसार सोनू कुमार पुत्र भगवानसहाय एवं भोला पुत्र भगवानसहाय जाति रेगर दोनो एक ही व्यक्ति है अर्थात भोला पुत्र भगवानसहाय को ही सोनू कुमार पुत्र भगवानसहाय के नाम से भी जाना जाता है। वकील वादी ने वादी के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादी सोनू कुमार पुत्र भगवानसहाय [illegible] साक्ष्य वादी गवाह में मनीष कुमार पुत्र भगवानसहाय व शनि कुमार पुत्र श्रवण लाल के सत्यापितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने वादपत्र मे वादी एवं गवाह के मुख्य परीक्षण मे लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से अधिवक्ता वादी ने प्रकरण मे बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संख्या 2055–2058, नकल नामांतकरण संख्या 695, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, दसवीं की अंकतालिका, उच्च माध्यमिक बोर्ड की अंकतालिका, आधार कार्ड तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का टटेरा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 रकबा 1.52 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम भोला पुत्र भगवानसहाय के स्थान पर सोनू कुमार पुत्र भगवानसहाय दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसकी ताईद वादी के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी व साक्ष्य गवाह में प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र से भी होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भोला पुत्र भगवानसहाय के स्थान पर सोनू कुमार उर्फ भोला पुत्र भगवानसहाय शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी [illegible] बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है त[illegible] ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि ख[illegible] नम्बर 464 रकबा 1.52 हैक्टर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की खातेदारी में वादी का नाम भोला पुत्र भगवानसहाय के स्थान पर सोनू कुमार उर्फ पुत्र भगवानसहाय घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

02/04/25

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/04/25

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested